भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 649

जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

ताप विद्युत संयंत्रों में घरेलू कोयले का उपयोग

649. श्री कंवर सिंह तंवर :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने, आयात पर निर्भरता कम करने और स्वदेशी कोयला संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से आयातित कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में घरेलू कोयले के उपयोग को बढ़ाने के लिए क्या रणनीति तैयार की गई है;

(ख) गुणवत्तापूर्ण घरेलू कोयले की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने, कोयला निकासी अवसंरचना को सुदृढ़ करने और घरेलू कोयले के अधिक उपयोग हेतु आवश्यक तकनीकी संशोधनों को सुगम बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय में कौन से नीतिगत उपाय किए गए हैं;

(ग) आयातित कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में घरेलू कोयले की हिस्सेदारी बढ़ाने और तापीय कोयले के आयात में कमी लाने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(घ) कोयला धुलाई, गुणवत्ता प्रबंधन और संभार संबंधी दक्षता में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) विश्वसनीय, किफायती और संधारणीय विद्युत उत्पादन सुनिश्चित करते हुए तापीय कोयले में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कौन-सी दीर्घकालिक कार्य-योजना तैयार की गई है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) : घरेलू रूप से उत्पादित कोयले के उपयोग को बढ़ाने और कोयला आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने निम्नानुसार विभिन्न नीतिगत पहलें की हैं:

i. वार्षिक संविदागत मात्रा (एसीक्यू) को, ऐसे मामलों में जहां एसीक्यू को या तो मानक आवश्यकता (गैर-तटीय विद्युत संयंत्रों) के 90% तक कम कर दिया गया था या जहां एसीक्यू को मानक आवश्यकता (तटीय विद्युत संयंत्रों) के 70 प्रतिशत तक कम कर

दिया गया, मानक आवश्यकता के 100 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। एसीक्यू में वृद्धि से घरेलू कोयला आपूर्ति में वृद्धि होगी, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी।

ii. वर्ष 2020 में प्रारंभ की गई गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी नीति में संशोधन के तहत एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि को 30 वर्ष तक की अवधि के लिए संशोधित किया गया है। एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि को 30 वर्ष तक बढ़ाए जाने से कोयला आयात को प्रतिस्थापित करने की दिशा में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

iii. सरकार ने वर्ष 2022 में निर्णय लिया है कि विद्युत क्षेत्र के सभी मौजूदा लिंकेज धारकों की पूर्ण विद्युत क्रय करार (पीपीए) आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा कोयला उपलब्ध कराया जाएगा, चाहे ट्रिगर स्तर और एसीक्यू स्तर कुछ भी हों। विद्युत क्षेत्र के लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के सरकार के इस निर्णय से आयात पर निर्भरता कम होगी।

iv. देश में घरेलू कोकिंग कोयले की खपत बढ़ाने और वाश्ड कोकिंग की उपलब्धता को भी बढ़ाने के लिए एनआरएस लिंकेज नीलामी के तहत मार्च, 2024 में एक नया उप-क्षेत्र 'डब्ल्यूडीओ मार्ग के माध्यम से कोकिंग कोयले का उपयोग करते हुए इस्पात' सृजित किया गया है, जिससे कोकिंग कोल के आयात में कमी आएगी।

v. कोकिंग कोयले के आयात को कम करने के लिए इस्पात क्षेत्र को कोकिंग कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कोकिंग कोयला मिशन शुरू किया गया है। कोकिंग कोल उत्पादन बढ़ाने के लिए कई पहलें की गई हैं।

vi. आयातित कोयला आधारित (आईसीबी) संयंत्रों को संशोधित शक्ति नीति, 2025 के अंतर्गत कोयला प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। इस नीति के तहत आईसीबी संयंत्रों के लिए कोयले की उपलब्धता से इन आईसीबी संयंत्रों की आयातित कोयले पर निर्भरता कम होगी।

vii. मौजूदा ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) धारकों को मौजूदा एफएसए के तहत एसीक्यू कोयले की 100% खरीद के बाद संशोधित शक्ति नीति, 2025 के तहत कोयला प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। वर्तमान एफएसए धारकों को एसीक्यू से अधिक कोयले की उपलब्धता होने से विद्युत उत्पादकों को विद्युत संयंत्रों की पूर्ण आवश्यकता पूरी करने में लाभकारी होगा।

viii. गैर-विनियमित क्षेत्र लिंकेज नीलामियों के अंतर्गत हाल ही में सृजित कोलसेतु विंडो के तहत कोयला लिंकेज से देश में धुले हुए कोयले की उपलब्धता बढ़ेगी और परिणामस्वरूप कोयला आयात में कमी आएगी।

(ख) : कोयला मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालयों और हितधारकों के साथ मिलकर कोयला लॉजिस्टिक्स चेन से जुड़ी समस्याओं—जैसे कि रेलवे रेक की उपलब्धता और परिवहन से जुड़ी

बाधाओं — का आकलन करने और इसका समाधान करने के लिए एक 'कोयला लॉजिस्टिक्स योजना' शुरू की। इस योजना खानों से अंतिम उपयोग संयंत्रों तक की संपूर्ण कोयला आपूर्ति श्रृंखला शामिल है और इसमें कोयले की ढुलाई की क्षमता को बेहतर बनाने के उपाय बताए गए हैं। सरकार द्वारा कोयला ढुलाई अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए विभिन्न प्रमुख उपाय निम्नानुसार हैं:-

i. वित्त वर्ष 2030 तक रेल कनेक्टिविटी की कमियों को दूर करने और कोयला उत्पादक राज्यों से कोयले की ढुलाई को मज़बूत करने के लिए 33 अहम रेल अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की पहचान की गई है।।

ii. वित्त वर्ष 2030 तक कोयले की ढुलाई में रेल परिवहन की हिस्सेदारी को लगभग 75% तक बढ़ाने के उद्देश्य से रेल के ज़रिए कोयले की निकासी को बेहतर बनाना।

iii. वित्त वर्ष 2029-30 तक 1319 एमटीवाई (मिलियन टन प्रति वर्ष) क्षमता वाली 139 फर्स्ट-माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाएं स्थापित करने की योजना है।

iv. लंबी दूरी के कोयला परिवहन को इष्टतम बनाने हेतु रेल-समुद्र-रेल (आरएसआर) लॉजिस्टिक्स सहित वैकल्पिक ढुलाई माध्यमों का विकास।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, तापीय उत्पादन एक लाइसेंस-मुक्त गतिविधि है और कोई भी तापीय विद्युत संयंत्र (आईसीबी संयंत्रों सहित) आवश्यकतानुसार तकनीकी संशोधन कर सकता है, जिसमें घरेलू कोयले का प्रयोग बढ़ाने के लिए आवश्यक परिवर्तन करना भी शामिल हैं।

(ग) : वर्तमान में, कुल 3.7 गीगावाट की संस्थापित क्षमता वाले पांच आयातित कोयला आधारित (आईसीबी) संयंत्रों ने घरेलू कोयला लिंकेज प्राप्त किया है।

(घ) : कोयला धुलाई, गुणवत्ता प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

i. घरेलू कोकिंग कोल उत्पादन को 140 मि.ट. कोयला वॉशरी क्षमता को वित्त वर्ष 2030 तक 58 मि.ट. तक बढ़ाने और इस्पात निर्माण हेतु स्टैम्प-चार्जिंग प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के साथ घरेलू कोकिंग कोल ब्लेंडिंग को 10% से बढ़ाकर 30% करने के लिए मिशन कोकिंग कोल का कार्यान्वयन।

ii. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा मौजूदा वॉशरियों का आधुनिकीकरण और क्षमता संवर्धन तथा 07 नई कोकिंग (19.5 एमटीवाई) एवं 07 गैर-कोकिंग (58 एमटीवाई) वॉशरियों की स्थापना।

iii. कोयला कंपनियों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता के संबंध में कोयला उपभोक्ताओं की चिंताओं का समाधान करने के लिए, लदान बिंदु पर कोयले की नमूना जांच स्वतंत्र तृतीय-पक्ष नमूना जांच एजेंसियों (टीपीएसए) के माध्यम से की जाती है और उपभोक्ता किसी भी सूचीबद्ध एजेंसी को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

iv. बेहतर कोयला ब्लेंडिंग, 100 मिमी से कम आकार के कोयले के प्रेषण और कोयले की गुणवत्ता में एकरूपता बनाए रखने के लिए रैपिड लोडिंग प्रणालियों से सुसज्जित फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं का अधिक उपयोग।

v. ऑटो मैकेनिकल सैंपलर (एएमएस) और मैकेनिकल ऑगर के माध्यम से नमूना संग्रहण।

vi. उपभोक्ताओं को नमूना जांच प्रक्रिया की लाइव स्ट्रीमिंग।

vii. वित्त वर्ष 2029-30 तक 1319 एमटीवाई (मिलियन टन प्रति वर्ष) क्षमता वाली 139 फर्स्ट-माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाएं स्थापित करने की योजना है।

viii. वित्त वर्ष 2030 तक रेल कनेक्टिविटी की कमियों को दूर करने और प्रमुख कोयला क्षेत्रों से कोयले की ढुलाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए 33 महत्वपूर्ण रेल अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की पहचान की गई है।

(ङ) : तापीय कोयले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और कोयला उत्पादन में वृद्धि को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

i. कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा।

ii. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 का अधिनियमन, जो कैप्टिव खान मालिकों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) को खान से जुड़े अंतिम उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद अपने वार्षिक खनिज (कोयले सहित) उत्पादन का 50% तक खुले बाजार में बेचने में सक्षम बनाता है।

iii. कोयला खानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल की स्थापना।

iv. कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आवंटियों की सहायता के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) का गठन।

v. राजस्व शेयरिंग के आधार पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी वर्ष 2020 में शुरू की गई। इसके तहत, उत्पादन की निर्धारित तिथि से पहले उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम पेशकश पर 50 प्रतिशत की छूट की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण अथवा द्रवीकरण (अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट) पर प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।

vi. वाणिज्यिक कोयला खनन की निबंधन और शर्तें बहुत उदार हैं जिनमें कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध न होना, नई कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देना, अग्रिम राशि में कमी करना, मासिक भुगतान के लिए अग्रिम राशि का समायोजन, कोयला खानों को प्रचालित करने के लिए लचीलेपन को बढ़ावा देने हेतु उदार दक्षता

मानदंड, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व शेयरिंग मॉडल शामिल हैं।

vii. खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए, पूर्णतः अन्वेषित कोयला ब्लॉकों हेतु कोल ब्लॉक विकास एवं उत्पादन करार (सीबीडीपीए) में निर्धारित समय-सीमाओं को मौजूदा 51 महीनों से घटाकर 40 महीने कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आंशिक रूप से अन्वेषित ब्लॉकों के लिए, 66 महीनों से 52 महीनों तक इसी प्रकार की कमी की गई है।

viii. प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा उच्चतर घरेलू कोयला उत्पादन को सुगम बनाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित नियामक सुधार और नीतिगत पहलें भी की हैं:

- प्रत्यायित पूर्वेक्षण एजेंसियों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस (पीएल) की आवश्यकता, खान और सीम खोलने की अनुमतियां, तथा सरकार द्वारा भूवैज्ञानिक रिपोर्टों (जीआर) के अनुमोदन को समाप्त किया गया;
- कोकिंग कोल को महत्वपूर्ण खनिज घोषित किया गया; और
- भूमिगत कोयला खनन के लिए प्रोत्साहनों की शुरुआत।

उपर्युक्त के अलावा, घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयला कंपनियों ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) अपनी भूमिगत (यूजी) खानों में जहां कहीं व्यवहार्य हो, कंटिन्युअस माइनर्स (सीएम), लॉन्गवॉल (एलडब्ल्यू) और हाईवॉल (एचडब्ल्यू) की संस्थापना के साथ व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकियों (एमपीटी) जैसी नई और आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपना रही है। अपनी ओपनकास्ट (ओसी) खानों में, सीआईएल के पास पहले से ही अपने उच्च क्षमता वाले एक्सकेवेटर और डंपरों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है। ओपनकास्ट खानों में हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) का मानकीकरण किया गया है। कुशल और पर्यावरण के अनुकूल खनन के लिए ओपनकास्ट खानों में सर्फेस माईनर्स को भी संस्थापित किया जाता है।

ii. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा नई परियोजनाओं की स्थापना और मौजूदा परियोजनाओं के प्रचालन के लिए नियमित संपर्क किया जा रहा है। एससीसीएल ने कोयले की निकासी के लिए कोयला हैंडलिंग संयंत्रों (सीएचपी), क्रशर, मोबाइल क्रशर, प्री-वे-बिन आदि जैसी अवसंरचना विकसित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
